न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–44/2023 (GCMS No. 2023/47) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. वत्तीलाल पुत्र रामजीलाल जाति गूजर निवासी वरखेडा तहसील करौली जिला करौली।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली।

.....रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली दिनांक 11.09.1996 मुकदमा नम्बर 140/96 उनवान सरकार बनाम बत्तीलाल।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री दिनेश शर्मा, वकील।
2. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय पैरोकार।

नि र्ण य दिनांक : 02.02.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 11.09.1996 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार करौली द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) उपखण्ड अधिकारी करौली के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उक्त आवंटन प्रार्थी/अपीलांट के हक में आराजी ख.नं. 677 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम बरखेडा अनियमित होने के कारण जिला कलक्टर द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त करने के निर्देश दिये गये है जबकि आवेदन में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 08.02.1995 प्रस्तुत नहीं किया। जिला कलक्टर को नियम 14(3) के तहत स्वतः सुओ मोटो कार्यवाही करने का अधिकार है मगर वह किसी अन्य को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करने का अधिकारी नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर आवंटन अधिकारी से द्वेषता रखता है। तहसीलदार करौली आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य है और वह ऐसी दरखास्त पेश करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत स्टोप्ड है। तहत अदालत ने आराजी खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नम्बर 677 को महज गैर मुमकिन भूमि मानते हुये आवंटन आदेश निरस्त किया है। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील मंजूर करने की प्रार्थना करते हुए कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर का निर्णय विधिविरूद्व होने से खारिज फरमाया जावे और आवंटन आदेश बहाल रखा जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. हमने उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मयाद अधिनियम में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दलील देते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि तहसीलदार करौली ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के यहां पेश किया जो दिनांक 11.09.1996 को स्वीकार किया गया। अपीलांट गरीब व अनपढ व्यक्ति है उसे आदेश जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी तथा मौके पर आज तक आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहा हैं। अपीलांट जब पटवारी हल्का के पास नकल लेने गया तब पटवारी के बताने पर प्रार्थी/अपीलांट ने निर्णय जैर अपील की जानकारी की और दिनांक 13.02.2023 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 14.02.2023 को प्राप्त हुई। वाद को वकील के कहने पर आवंटन आदेश की नकल तलाश की तथा दिनांक 17.03.2023 को आवंटन आदेश की नकल को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 21.03.2023 को न देते हुऐ प्रार्थना पत्र पर नकल उपलब्ध नहीं है अंकित कर दिया जिसकी नकल ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. का प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार कर लेने एवं उसकी जानकारी दिनांक 17.03.2023 को होने से उक्त अपील आवंटन के खारिज होने से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। जिसके लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जावे। तहसीलदार करौली ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राज0 भू–राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली में पेश किया जिसके निर्णय दिनांक 11.09.1996 द्वारा अपीलान्ट का आवंटन दिनांक 18.08.1992 निरस्त किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) एल.आर एक्ट आवंटन नियम 1970 में कोई आधार नहीं बताये तथा निम्न कारणों से आवंटन निरस्त किया गया कि :–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

(क) दिनांक 18.08.92 को मुकाम बरखेडा में अन्य गांवों की भूमि का भी आवंटन होने से नियम 13 (4) के विपरीत है।

(ख) प्रार्थना पत्र पर साक्षियों के हस्ताक्षर व पता नही है

(ग) प्रार्थना पत्र की जांच सही नहीं की तथा पटवारी हल्का ने अपूर्ण रिपोर्ट की है जिससे स्पष्ट नहीं हो पाता है कि प्रार्थी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता है या नही ?

(घ) उद्घोषणा में सूचित रकबा से अधिक का आवंटन किया गया है।

(ड) आवंटन प्रार्थना पत्र पर मार्किंग पर दिनांक अंकित नही है जिससे ज्ञात नही होता है कि प्रार्थना पत्र किसने पेश किया है और किस दिनांक को पेश किया गया है।

(च) नियम 13(2) के अनुसार आवंटन योग्य रकबा की सूची भेजकर वन मण्डल अधिकारी की टिप्पणी नही ली गई।

(छ) आवंटी के हस्ताक्षर आवंटन प्रार्थना पत्र एवं कब्जा रिपोर्ट से भिन्न है।

(ज) गैर मुमकिन बेहड, गै.मु. पहाड, गै.मु. पठार, गै.मु. नाला आदि भूमियो का आवंटन किया गया है। भूमि नाकाबिल काश्त थी तो किस्म परिवर्तन के बाद ही आवंटन होना चाहिये था।

हमारा आवंटन बरखेडा में ही हुआ है और भूमि का नंबर भी बरखेडा का ही है। तहसीलदार भू–आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य है और उनकी सिफारिश पर ही भू–आवंटन हुआ है जो एस्टोप्पड है जो निर्णय में भी माना है। तहसीलदार द्वारा यह कार्यवाही जिला कलक्टर के पत्र के आधार पर करनी बतायी है लेकिन ऐसे किसी पत्र/आदेश की प्रति पेश नही की। जिला कलक्टर ने आवंटन निरस्त इसलिये किया कि वे आवंटन अधिकारी से द्वेषता रखते थे। आवंटन की पत्रावली को भी नही देखा। भूमि सिवायचक है और यह आवंटन हमने धोखे से या कपट से नहीं कराया है। विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त यथा RBJ 2011 Page 418, RRD 1994 page 87, RRD 1994 page 388, RBJ 2019 Page 670, RBJ 2020 Page 765, RRD 1994 Page 612 भी उद्धत किये और अपील मंजूर फरमायी जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान राजकीय पैरोकार ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत ढंग से ही अपील मंजूर की थी। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र में वर्णित विलंब संबंधी तर्कों को नजरअंदाज किया जाना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उचित प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया है ताकि उभयपक्ष की उचित सुनवाई के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो सके और कोई भी पक्ष बिना सुने न रहे। अतः प्रकरण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपील में हुए विलम्ब की अवधि को कंडोन किया जाता है। तहसीलदार आवंटन समिति का सदस्य होता है लेकिन वह किसी भी पूर्व में अनियमित कार्य के विरूद्ध कार्यवाही से एस्टोप्पड नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा कार्यवाही जिला कलक्टर करौली द्वारा उक्त आवंटन को अनियमित होने से ही इसको निरस्त कराने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिये गये थे। इसके अलावा आवंटन गैर मुमकिन भूमि का किया गया था जो बिना किस्म परिवर्तन के नहीं हो सकता था जिससे यह आवंटन अनियमित है। तहसीलदार करौली द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) में वर्णित कारणों से किया गया आवंटन पूर्णतया अनियमित है तथा प्रतिबंधित भूमि का किया जो प्रारम्भतः ही शून्य है क्योंकि बिना किस्म परिवर्तन के किया गया यह आवंटन विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धत नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया जो मौजूदा मामले पर चस्पा नहीं होती है। इस प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दी गई दलीलों से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 11.09.1996 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर